UN- हाई सी ट्रीटी

UN हाई सी ट्रीटी

"BBNJ संधि" जिसे "ट्रीटी ऑफ द हाई सी" के रूप में भी जाना जाता है,

UNCLOS के ढाँचे के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहली बार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिये एक एकीकृत (कानूनी रूप से बाध्यकारी) संधि पर सहमति व्यक्त की है

हाई सी (High Seas-HS): संपूर्ण पृथ्वी के सभी खारे जल के वे निकाय जो किसी राज्य के क्षेत्रीय समुद्र/आंतरिक जल का हिस्सा नहीं हैं

संधि की पृष्ठभूमि: हाई सी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिये एक अद्यतन ढाँचे की मांग, लगभग 20 साल पुरानी है

HS की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों

- वर्तमान में केवल 1.2% HSs संरक्षित हैं
- विलुप्त होने के जोखिम में वैश्विक समुद्री प्रजातियों का 10%
- वाणिज्यिक मछली पकड़ने, खनन, अम्लीकरण, प्रदूषण के कारण खतरे में वृद्धि

महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1982 में हस्ताक्षरित था

यह संधि UNCLOS के तहत तीसरा "कार्यान्वयन समझौता" है

प्रमुख बिंदु

- महासागरीय जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और हाई सी में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिये एक नई संस्था का निर्माण
- महासागरों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये EIAs के संचालन हेतु ज़मीनी नियमों का निर्माण

प्रमुख देश

यूरोपीय संघ, यूएस, यूके और चीन (समझौते की ब्रोकरिंग में)

महत्त्व

- UN CBD COP15 पर 30x30 लक्ष्य सेट प्राप्त करना
- महासागर के ⅔ (+ तटीय समुदायों की आजीविका) का कानूनी संरक्षण
- पृथ्वी की सतह पर >40% लुप्तप्राय प्रजातियों/आवासों की व्यापक सुरक्षा

रोडब्लॉक

विकसित/विकासशील राष्ट्रों के बीच समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR) और अंतिम लाभ कैसे साझा करें

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे सांस लेने हेतु आवश्यक लगभग आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ग्रह के 95% बायोस्फीयर का प्रतिनिधित्व करते हैं और CO_2 (दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक) को अवशोषित करते हैं

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/un-high-sea-treaty